

Recommendation of CCF

एन0सी0एल0 दुधीचुआ कोयला परियोजना के उत्खनन कार्य में प्रभावित वन भूमि कक्ष क्रमांक पी-261, पी-262 रकबा 443.000 हे0 एवं राजस्व वनभूमि खसरा नम्बर 404/1, 410/1, 411/1, 412/1, 193/2, 172, 188/4 रकबा 24.809 हे0 कुल आवेदित वनभूमि/राजस्व वनभूमि रकबा 467.809 हे0 वन संरक्षण अधिनियम 1980(2) नियम 2003 के तहत एन0सी0एल0 दुधीचुआ कोयला परियोजना के उत्खनन कार्य के लिए व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु अनुशंसित है।



मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त, रीवा (म0प्र0)

भाग III
संबंधित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

14	स्थल जहां की वनभूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है (हां/ नहीं) यदि हां तो निरीक्षण की तारीख और किये गये प्रेक्षणों को, निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें		नहीं।
15	क्या वन संरक्षक उप वन संरक्षक के अभिमत से सहमत है। यदि नहीं तो उसका कारण दें।		सहमत है।
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में विस्तृत कारणों के साथ अभिमत।		आवेदक संस्थान के प्रस्ताव अनुसार वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली द्वारा एन0सी0एल0 दुधीचुआ कोयला परियोजना के उत्खनन कार्य में प्रभावित वन भूमि कक्ष क्रमांक पी-261, पी-262 रकबा 443.000 हे0 एवं राजस्व वनभूमि खसरा नम्बर 404/1, 410/1, 411/1, 412/1, 193/2, 172, 188/4 रकबा 24.809 हे0 कुल आवेदित वनभूमि/राजस्व वनभूमि रकबा 467.809 हे0 वन संरक्षण अधिनियम 1980(2) नियम 2003 के तहत एन0सी0एल0 दुधीचुआ कोयला परियोजना के उत्खनन कार्य के लिए व्यपवर्तन की स्वीकृति हेतु की गई अनुशसा के आधार पर इस कार्यालय द्वारा भी अनुशंसित है।

तिथि :
स्थान: रीवा


मुख्यताक्षर संरक्षक
रीवा (म0प्र0)

कार्यालय वन वृत्त रीवा (म.प्र.)

जयंती कुन्ज वन विश्राम गृह के पास, सेन्द्रल स्कूल मार्ग रीवा
Ph-242098, E-mail- ccf.rwa@mp.gov.in,

क्रमांक/मा0चि0/ 1948
प्रति,

रीवा/दिनांक 23.2.17

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध)

सतपुडा भवन भोपाल म0प्र0

विषय:- रीवा वृत्त अंतर्गत वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढन के वनखण्ड दुधीचुआ की रकबा 443.000 हेक्टेयर वनभूमि एवं ग्राम मेढौली के विभिन्न खसरो की 24.809 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि कुल 467.809 हेक्टेयर वन/राजस्व वन भूमि में उपरितल कोयला खनिज उत्खनन व्यपवर्तन का प्रस्ताव-नार्दन कोल फील्डस लिमिटेड।

सन्दर्भ:- आपका पत्र क्रमांक/एफ-1/क्रमांक/एफ-1/FP/MP/MIN/13685/2015/2317 दिनांक 28.10.2016

—0—

उपरोक्त विषयांकित सन्दर्भित पत्र के संबंध में निवेदन है कि रीवा वृत्त अंतर्गत वन मण्डल सिंगरौली के परिक्षेत्र बैढन के वनखण्ड दुधीचुआ की रकबा 443.000 हेक्टेयर वनभूमि एवं ग्राम मेढौली के विभिन्न खसरो की 24.809 हेक्टेयर राजस्व वनभूमि कुल 467.809 हेक्टेयर वन/राजस्व वन भूमि में उपरितल कोयला खनिज उत्खनन व्यपवर्तन के प्रस्ताव-नार्दन कोल फील्डस लिमिटेड में उठाई गई आपत्तियों की पूर्ति वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली द्वारा आवेदक संस्थान एवं स्वयं द्वारा की जाकर इस कार्यालय की ओर भेजा गया है जो निम्नानुसार है:-

बिन्दु क्रमांक-1 FORM-A के PART-II में वनमण्डल सिंगरौली अंतर्गत आन लाईन फार्म में भरा जाकर निम्नानुसार प्रेषित है।

(1) अनुक्रमांक 13(1) में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की Patchwise Details भरी जाकर हार्ड प्रति में वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना संलग्न है।

बिन्दु क्रमांक-2 (1) प्रस्तावित स्थल का वनमण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा किया गया स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है।

(2) अनुशंसा आन लाईन में लोड कर दी गई है।

बिन्दु क्रमांक-3 मुख्य वन्यप्राणी अभिरक्षक एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) म0प्र0 भोपाल से अभिमत प्राप्त होने पर पृथक से प्रेषित किया जावेगा।

बिन्दु क्रमांक-4 आनलाईन फार्म ए के पार्ट-1 की जानकारी आवेदक संस्थान द्वारा (i) से (viii) तक की पूर्ति की जाकर हार्ड प्रति में संलग्न कर दी गई है।

अतः आपकी ओर वनमण्डलाधिकारी सिंगरौली द्वारा आपत्ति पूर्ति पश्चात प्राप्त वन प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के विचारार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न:- वन प्रस्ताव 3 प्रति में।

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त, रीवा (म.प्र.)

पृष्ठा०क्रमांक/मा०चि०/
प्रतिलिपि:-

रीवा/दिनांक

- 1- वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल सिंगरौली की ओर उनके पत्र क्रमांक/मा०चि०/51 दिनांक 09.01.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित है।
- 2- महाप्रबंधक दुग्धचुआ परियोजना, नार्दन कोलफिल्ड्स लिमिटेड, पोस्ट खडिया जिला सोनभद्र उ०प्र० की ओर सूचनार्थ।

मुख्य वन संरक्षक
रीवा वृत्त रीवा (म.प्र.)

Site Inspection By the DFO/CF/CCF

Sr. No.	Particular	Inspection Report by BY DFO(T)
1.	Extent in hectares	Forest Land - 443.000 Revenue Forest Land - 24.809 Total 467.809
2.	Location (Lat-Long) of the forest land proposed for Diversion	N24°10'54.99" E82°41'18.53" N24°10'24.17" E82°42'24.89" N24°09'59.51" E82°42'45.76" N24°09'34.80" E82°43'16.05" N24°09'16.98" E82°43'19.77" N24°08'48.58" E82°42'41.14" N24°09'02.44" E82°42'40.59" N24°09'55.22" E82°41'41.77" N24°10'22.30" E82°40'59.45"
3.	Legal status of the forest land (Protected forest, reserved forest, Revenue forest land or any other forest land)	Protected Forest PF Dudhichua PF-261, PF-262 Revenue Forest Land Khasra No. 404/1, 410/1, 411/1, 412/1, 193/2, 172, 188/4
4.	Demarcation of the area with temporary cairns etc.	YES
5.	Any signs of encroachment	NO
6.	Any activity already taken up within the forest land or adjoining non forest land as part of the proposed project by the user agency. Details of action taken against the user agency in case of violation of the FC Act and guidelines there under.	NO
7.	Status of vegetation, site quality, species composition etc.	अचार, गुंजा, महुआ, साल, सेंधा, तेन्दू, बरगद, साजा, सीसम, नीम, कोसम, जामुन, करंज, पलाश। गुणवत्ता VB है। घनत्व 0.2 से 0.4
8.	Importance of area from wildlife point of view, Status of wildlife (density and abundance of important species, bird life reptiles, butterflies and other scheduled animals any, endangered wildlife). Any latest census of wildlife in this area.	कक्ष क्रमांक पी-262 कार्य आयोजना अनुसार हाथी कॉरीडोर में सम्मिलित है। इस संबंध में वन मण्डल की कार्य आयोजना में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:- 2.47 (9)-कॉरीडोर में किसी भी प्रकार का कार्य जिससे कॉरीडोर की निरन्तरता में व्यवधान उत्पन्न होता हो जैसे स्थाई भवन निर्माण, डिपो की स्थापना, लेबर कैंप की स्थापना तथा अन्य स्थाई निर्माण कार्य आदि नहीं किये जायेंगे। 2.47 (10)-कॉरीडोर में स्थित कक्षों को यथा संभव गैर वानिकी उपयोग हेतु हस्तांतरित नहीं किया जाये। यदि ऐसा करना अवश्यभावी हो तो सर्वप्रथम वैकल्पिक कॉरीडोर की स्थापना की जाये।
9.	Endemism of flora/fauna or any other unique ecosystem in the area	NO
10.	Current land use. Is this area managed as per prescriptions in the working plan and if not, why	वर्तमान भूमि का उपयोग कार्य आयोजना के अनुसार किया जाता है।

Sr. No.	Particular	Inspection Report by BY DFO(T)
11.	Importance of the area from historical or religious point of view	NO
12.	Any dependent persons/families on this land	NO
13.	Any displacement of persons proposed	NO
14.	Is there any Rehabilitation and Resettlement Plan for the persons to be affected? Is there any dissenting	NO
15.	Compensatory afforestation proposed is on forest land or non-forest land. Location of this area, suitability of the area for CA. if in the degraded forest land then what is the current working plan prescription for the area? Distance of the non-forest land for CA from the nearest forest area. Number of patches in case the area should be more than 10 Kms.	प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने बिगड़े वन क्षेत्र में वैकल्पिक वनीकरण प्रस्तावित किया गया है।
16.	Proposed area should not be part of any protected area. Also distance from the boundary of the nearest protected area should be more than 10 Kms	NA
17.	Dependence of tribals in the area. Whether the rights of the tribals have been recognized in this area.	कलेक्टर सिंगरौली द्वारा इस संबंध में प्रमाण पत्र जारी किया गया है।
18.	Utility of the project, including the people living in closed vicinity of the project	Coal Mines
19.	In case of renewal whether all the conditions stipulated N/A in the earlier sanction order have been complied with.	NA
20.	Alternatives examined by the user agency in case of non-site specific projects.	NA
21.	A certificate by the user agency that the forest land requested for diversion for non-forestry purpose is bare minimum.	संलग्न है।
22.	Any scope of saving tree growth while ensuring that the purpose for which the forest land is being diverted is also not adversely affected	NA
23.	Any other issue of significance	-

Sr. No.	Particular	Inspection Report by BY DFO(T)
24.	Specific recommendations of the DFO with reason for approval of the project.	1. वन मण्डल सिंगरौली के अंतर्गत प्रस्तावित वन भूमि 443 हे० में से 186.254 हे० रकवा कक्ष क्रमांक. पी-262 इस वन मण्डल के प्रचलित कार्य आयोजना के अनुसार हाथी कोरीडोर में सम्मिलित है। 2. वन मण्डल की कार्य आयोजना में हाथी कोरीडोर के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है:- (i). 2.47 (9)-कोरीडोर में किसी भी प्रकार का कार्य जिससे कोरीडोर की निरन्तरता में व्यवधान उत्पन्न होता हो जैसे स्थाई भवन निर्माण, डिपो की स्थापना, लेबर कैंप की स्थापना तथा अन्य स्थाई निर्माण कार्य आदि नहीं किये जायेंगे। (ii). 2.47 (10)-कोरीडोर में स्थित कक्षों को यथा संभव गैर वानिकी उपयोग हेतु हस्तांतरित नहीं किया जाये। यदि ऐसा करना अवश्यभावी हो तो सर्वप्रथम वैकल्पिक कोरीडोर की स्थापना की जाये। 3. कार्य आयोजना के उक्त प्रावधान का पालन सुनिश्चित कराने की शर्त पर स्वीकृति की अनुशंसा की जाती है।


Divisional Forest Officer

Division: Singrauli

Place: waighan

Date: 24.09.2016